जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2019/ 1473 दिनांक 30/3/19

// कार्यालयीन आदेश//

जीवाजी विश्वविद्यालय में स्टेटयूटरी बॉडी (UGC/AICTE/NCTE etc.) के अनुसार नियुक्त अतिथि शिक्षक एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 फरवरी 2019 के पद क्रमांक 20 पर लिये गए निर्णयानुसार पात्रताधारी तथा पी.एच.डी. धारक एवं औद्योगिक क्षेत्र से आने वाले विजिटिंग फेकल्टी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रूपये 500/- के स्थान पर रूपये 800/- प्रति घण्टा/प्रति व्याख्यान तथा अन्य अतिथि शिक्षकों को रूपये 250/- के स्थान पर रूपये 500/- प्रति व्याख्यान (Per-Period) मानदेय प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अतिथि शिक्षको को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले मानदेय की अधिकतम सीमा रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नही होगी।
2. एक अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालयीन विभाग/अध्ययनशालाओं में एक दिन में अधिकतम 04 व्याख्यान लेने की पात्रता होगी ।
3. विश्वविद्यालय में किसी विशेष विषय के लिये चयनित अतिथि शिक्षक विश्वविद्यालय की अन्य अध्ययनशालाओं में उसी विषय का अध्ययन करा सकेगा, किन्तु उसके मानदेय का भुगतान संबंधित अध्ययनशाला द्वारा ही किया जावेगा जहॉ अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई हो । यहा पर भी एक दिन में अधिकतम 04 व्याख्यान की बाध्यता रहेगी।
4. किसी भी विभाग/अध्ययनशालाओं में अतिथि शिक्षकों को एक अकादमिक सत्र में लियें ही नियुक्ति प्रदान की जावेगी ।
5. परिवर्तित मानदेय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 फरवरी 2019 में लिए गये निर्णय की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/अध्ययनशालाएँ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
3. सहायक कुलसचिव, लेखा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
4. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अतिरिक्त संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
6. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. संबंधित पत्रावली हेतु।

सहायक कुलसचिव (प्रशा०)